## न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत,.आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 214/2022**

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट

1. अनोपाराम पुत्र रामकिशन
2. मोहनराम पुत्र रामकिशन
3. बाबूलाल पुत्र रामकिशन
4. सुखराम पुत्र रामकिशन
5. रिडमलराम पुत्र कोजाराम
6. भाकरराम पुत्र कोजाराम
7. गोपूराम पुत्र हिरकनराम
8. सोहनलाल पुत्र जगमालराम

(सभी जाति विश्नोई, निवासी भीमसागर, तह0 ओसियां, जोधपुर)

**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां आदेश दिनांक 17.12.21 प्र0सं0 509/2021

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 01.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम भीमसागर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 330 की भूमि में से 0.1983 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलांट्स उक्त खसरान की भूमि के चारो तरफ बाड माठ कर काबिज है तथा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मौके पर बारहमासी रास्ता नही चलता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नही दिया गया। प्रत्यर्थी उक्त आदेश की आड में अपीलांट्स की खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि में से जबरदस्ती रास्ता निकालने को आमदा है। इससे अपीलांट्स को अपूर्णीय क्षति होने के साथ मौके पर विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार ओसियां द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में मौके पर चालू एवं सार्वजनिक उपयोग के रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नही की गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारान को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 509/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपीलांट्स के ख0नं0 330 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर